मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश परिवहन नीति २०१०

मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग

मध्यप्रदेश की परिवहन नीति

प्रस्तावना

१. सड़क परिवहन आर्थिक विकास, व्यापार एवं सामाजिक एकीकरण के लिये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। एक व्यवस्थित यात्री एवं माल परिवहन की व्यवस्था से दूरदराज के क्षेत्रों को जोड़ने एवं विकास की संभावनाएँ को बढ़ाने में आवश्यक है। प्रदेश में सड़क परिवहन ही परिवहन का मुख्य आधार है । देश में सड़क परिवहन में वृद्धि वर्ष २०००-०१ से २००५-०६ के बीच में ९.५ प्रतिशत रही है जबकि समग्र जी.डी.पी. में वृद्धि इसी अवधि में ६.५ प्रतिशत रही है। प्रदेश में परिवहन सुविधाओं की मांग तेजी से बढी है तथा निकट भविष्य में १० प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से माल वाहक सुविधाओं के बढ़ने की संभावना है।

२. प्रदेश में कुल मोटरयानों की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। गत दस वर्षों में यह औसत वृद्धि १२.९१ प्रतिशत वार्षिक की रही है। कुल ६० लाख पंजीकृत वाहनों में ७८ प्रतिशत दो पहिया वाहन एवं २१ प्रतिशत चार पहिया वाहन है। प्रदेश में

व्यवसायिक वाहनों की संख्या समग्र वाहनों का ५.८५ प्रतिशत है। बसों की संख्या १२,७८१ है, तथा भविष्य में इनके बढ़ने की संभावना है। प्रदेश में बढ़ते हुये वाहनों की संख्या को देखते हुये आवश्यक है कि इन्हें सुचारू रूप से नियंत्रित करने के लिये नीतिगत निर्णय लिये जायें। प्रदेश के आर्थिक एवम् सामाजिक विकास के लिये परिवहन की एक समग्र दृष्टि की आवश्यकता है। तदनुसार प्रदेश की यह परिवहन नीति तैयार की गयी है।

जनहितकारी सार्वजनिक परिवहन

३. राज्य शासन प्रदेश के भौगोलिक विस्तार को देखते हुये इस बात के लिये कटिबद्ध है कि एक जनहितकारी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था स्थापित की जाये। इसके लिये निम्नलिखित कदम उठाये जायेंगे :-

यात्रियों के लिये सार्वजनिक परिवहन साधनों को प्रोत्साहन दिया जायेगा जिसमें विशेष रूप से बसों की व्यवस्था सभी क्षेत्रों में की जायेगी।

मालवाहक परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण किया जायेगा जिससे माल की ढुलाई सुलभ रूप से की जा सकेगी।

प्रदेश में राजमार्गों, जिला मार्गों तथा ग्रामीण मार्गों का निरंतर विकास एवं निर्माण किया जायेगा जिससे सभी क्षेत्रों में आवागमन के साधन उपलब्ध कराये जा सकें।

सड़कों पर जानमाल की सुरक्षितता बढ़ाने तथा दुर्घटनाएँ कम करने के उपायों को उच्च प्राथमिकता दी जावेगी।

बस व्यवस्था

४. प्रदेश में शहरों तथा राजमार्गों पर अनेक प्रकार के वाहन चल रहे हैं। इनमें जन सुविधा की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी बस हैं। राज्य शासन अच्छी गुणवत्ता की बसों को सभी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध करायेगा।

५. राज्य शासन बस व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाने के लिये तत्पर है :-

५.१ प्रदेश के अंदर बसों के संचालन के लिये खुली परमिट व्यवस्था आवश्यक नियंत्रण के साथ जारी रहेगी ।

५.२ बस ऑपरेटरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना तथा साथ-साथ निजी आपरेटरों द्वारा उपयोग हो रहे परिवहन साधनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना लक्ष्य रहेगा।

५.३ बस रूटों पर किसी व्यक्ति, संस्था अथवा कम्पनी का एकाधिकार न हो, इस हेतु किसी एक पार्टी अथवा उनके निकट सम्बंधियों को किसी एक रूट के ५० प्रतिशत से अधिक अनुज्ञापत्र सामान्यतः नहीं दिये जायेंगे।

५.४ यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बसें निर्धारित रूट पर समयानुसार संचालित हों तथा जनता से निर्धारित किराया लिया जाये।

५.५ परमिट शर्तों का पूर्ण पालन बेहतर मैदानी प्रवर्तन, सूचना-प्रौद्योगिकी तथा जन सहयोग से करवाया जायेगा।

५.६ स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी तथा रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के तर्ज पर जिले के भीतर रूट निर्धारित करने तथा परमिट देने हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षाता में जिला ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन किया जावेगा। तद्नुसार कलेक्टर की अध्यक्षाता में वर्तमान गठित जिला परिवहन निगरानी समिति के स्थान पर जिला परिवहन प्राधिकार का गठन किया

जायेगा जिसमें निगरानी समिति के सदस्य के साथ-साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भी सदस्य होंगे।

जिला परिवहन प्राधिकार बस परमिट के आवेदन-पत्रों की समीक्षा उपरान्त स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए ग्रामीण एवं जिले के भीतर के रूटों पर परमिट स्वीकृत करेगा। परमिट स्वीकृति उपरान्त उक्त प्राधिकार का दायित्व परमिट शर्तों का अनुपालन कराना भी होगा।

५.७ अन्तरजिला एवं अन्तरसंभागीय मार्गों हेतु परमिट राज्य परिवहन प्राधिकार से ही जारी होगें। परमिट स्वीकृति एवं अनुपालन व्यवस्थित करने तथा परिवहन अमले के पर्यवेक्षण हेतु परिवहन विभाग के अंतर्गत अपर आयुक्त स्तर के वरिष्ठ अधिकारी को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का कार्य सौंपा जावेगा।

५.८ राज्य परिवहन प्राधिकार तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा जारी किये जाने वाले परमिटों की व्यवस्था का पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकरण किया जायेगा तथा इसकी मानिटरिंग प्रदेश स्तर पर की जायेगी।

५.९ यात्रियों की सुरक्षितता एवं परिवहन की गुणवत्ता की दृष्टि से राज्य में चल रही यात्री बसों की आयुसीमा परमिट शर्तों में निर्धारित की जावेगी, जो कि

अंतर्राज्यीय रूट के लिये १० वर्ष, राज्य के भीतर रूट के लिये १५ वर्ष एवं ग्रामीण रूट के लिये २० वर्ष होगी। समय-समय पर राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा वाहन आयु की समीक्षा कर निर्धारण किया जावेगा।

५.१० बसों का किराया निर्धारण नियमित रूप से प्रतिवर्ष किया जायेगा, जिससे यात्रियों के हितों के संरक्षाण के साथ-साथ बस परिवहन व्यावसायिक आधार पर संचालित हो सके।

५.११ विभिन्न रूटों पर संचालित होने वाले सार्वजनिक परिवहन साधन का चिन्हांकन किया जावेगा। जिसमें आवश्यकतानुसार अलग श्रेणीकरण : ए.सी./लक्जरी बस, साधारण बसें, मिनी बसें तथा छोटे वाहन (जैसे मैजिक) आवश्यकतानुसार प्रस्तावित किये जावें। लम्बी दूरी के लिये बड़ी बसों को प्रोत्साहित किया जावेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री परिवहन

६. प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये यह अत्यंत आवश्यक है कि दूरदराज के क्षेत्रों में भी आवागमन के उचित एवं पर्याप्त साधन हों। हाल के वर्षों में प्रदेश में ग्रामीण सड़कों का क्रांतिकारी विस्तार हुआ है, तथा

इन सड़कों पर आवागमन के साधनों में वृद्धि किया जाना आवश्यक है।

७. ग्रामीण परिवहन व्यवस्था के लिये शासन की नीति निम्नानुसार होगी :-

७.१ जिला परिवहन प्राधिकार द्वारा यात्री बस यातायात की मांग एवं रूपरेखा का सर्वेक्षण कराया जावेगा, जिससे दरों का आवश्यकतानुसार युक्तियुक्तकरण हो सके, और सम्पर्कहीन क्षेत्रों में यात्री बस सेवायें प्रारंभ की जा सकें।

७.२ उक्त सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए जिला परिवहन प्राधिकार ग्रामीण रूटों का चिन्हांकन करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन को बढ़ावा देने के लिये पूर्णतः ग्रामीण रूटों पर संचालित बसों के लिये वर्तमान प्रतिसीट, प्रतिदिन कर प्रणाली के स्थान पर पर्याप्त रियायती दरें निर्धारित होगीं।

७.३ आवश्यकतानुसार निर्धारित मापदंडों के अनुरूप सुरक्षित छोटे यात्री वाहनों को ग्रामीण क्षेत्रों के रूटों में परमिट दिये जावेंगे। इनकी दर पृथक से निर्धारित की जावेगी। (कान्ट्रेक्ट कैरेज के मैक्सी कैब/टैक्सी केब हेतु वर्तमान कर व्यवस्था जारी रहेगी।)

बस स्टैण्ड प्रबंध

८. मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम के समापन के उपरान्त प्रदेश में बस स्टैण्ड व्यवस्था वर्तमान में संतोषजनक नहीं है। बस स्टैण्ड व्यवस्था में सुधार किया जाना आवश्यक हो गया है। कुछ बस स्टैण्ड निगम अंतर्गत हैं और कुछ पूर्व से नगर निगम के द्वारा संचालित किये जा रहे हैं।

९. दोनों प्रकार के बस स्टैण्डों को जनता की सुविधा हेतु उन्नत किया जाएगा जिसके लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी :-

९.१ जिला परिवहन प्राधिकार के माध्यम से स्थानीय निकायों के द्वारा बस स्टैंड पर सभी मूलभूत यात्री सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएगीं । बस स्टैंड पर ऐसी व्यवस्था होगी कि सभी बसें अनुशासित ढंग से समयानुसार चलें तथा इनमें समय सारणी एवं किरायाइत्यादि प्रदर्शित किया जाये।

९.२ प्रमुख एवं अंतरराज्यीय बस स्टैण्डों के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण की पहल जन निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) द्वारा की जावेगी।

९.३ उद्देश्य यह होगा कि महानगरों के भी अंतरनगरीय बसों का अनावश्यक आवागमन न हो, और प्रमुख दिशाओं अनुसार एक से अधिक बस स्टैण्ड निर्मित हों।

९.४ प्रदेश में ट्रान्सपोर्ट इनफ्रास्ट्रेक्चर डवलेपमेन्ट हेतु उचित इकाई का गठन किया जावेगा। अंर्तराज्यीय बस स्टैण्डों की स्थापना, शहरों के बस स्टैण्डों की स्थापना होगी। प्रदेश में इकजाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनेगा, जिससे यात्रियों को आने-जाने वाली बसों की समुचित जानकारी प्राप्त हो सकेगी। विभिन्न रूटों पर चलने वाली बसों के समय पर संचालन की मानिटरिंग हो सकेगी। पीपीपी मोड में निजी भागीदारी से सार्वजनिक प्रणाली हेतु आवश्यक अधोसंरचना का विकास किया जा सकेगा। प्रदेश भर में एक समान स्टेंडर्स के मुताबित परिवहन की अधोसंचना विकसित हो सकेगी।

मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम

१०. राज्य शासन द्वारा वर्ष २००५ में सड़क परिवहन निगम के समापन का निर्णय लिया गया था। मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम के समापन की प्रक्रिया चल रही है तथा वर्तमान में केवल अंतर्राज्यीय मार्गों पर निगम से अनुबंधित बसों का संचालन हो रहा है। यद्यपि इसके समापन में विलम्ब हो रहा है शासन की मंशा है कि निगम का पूर्ण समापन हो। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए;

१०.१ सभी संबंधितों के हितों को ध्यान में रखते हुए विधिवत निगम के शेष कर्मचारियों की सेवाएँ समाप्त/सेवानिवृत्त होने की कार्यवाही की जावेगी।

१०.२ निगम के अन्तर्राज्यीय बस रूटों के समापन के पूर्व उचित वैकल्पिक व्यवस्था की जावेगी।

१०.३शासन द्वारा निगम की भूतपूर्व परिसंपत्तियों का यथाशीघ्र निवर्तन किया जावेगा। शासकीय प्रयोजन एवं जन उपयोगिता हेतु जिन सम्पत्तियों की आवश्यकता नहीं है, उन्हें नियमानुसार नीलाम किया जावेगा

१०.४ पूर्ण समापन के पूर्व बस स्टैण्ड प्रबन्ध एवं परिवहन नियामन की उचित प्रशासनिक व्यवस्थाएँ की जावेंगी।

माल परिवहन

११. प्रदेश के औद्योगिक एवम् आर्थिक विकास के लिये मालयानों में सुलभ परिवहन अत्यंत आवश्यक है। राज्य शासन इसके लिये निम्न कदम उठायेगा :-

११.१ अंतर्राज्यीय माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिये नेशनल परमिट की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जायेगा।

११.२ प्रदेश के अंदर मालयानों की विशेषतः परिवहन तथा पुलिस विभागों द्वारा अनावश्यक चैकिंग नहीं की जायेगी अथवा रोका नहीं जायेगा। सीमावर्ती चौकियों में चैकिंग व्यवस्थित और कम्प्यूट्री.त की जावेगी।

११.३ प्रदेश के भीतर महानगरों में इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे पी.पी.पी. मॉडल पर चैकिंग हेतु लगाये जावेंगे।

११.४ सीमा जांच चौकियों पर एकी.त एवम् इलेक्ट्रोनिक जांच चौकियों का निर्माण किया जायेगा जिससे मालयानों का सभी विभागों से संबंधित आवश्यक कार्य एक ही स्थान पर हो सकेगा। इससे मालयानों के परिवहन में बाधायें कम हो सकेंगी।

शहरी परिवहन व्यवस्था

१२. मध्यप्रदेश में आर्थिक उन्नति के साथ-साथ शहरों का विकास तेजी से हो रहा है। प्रदेश के महानगरों में परिवहन व्यवस्था सुगम रूप से उपलब्ध कराने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जायेंगे :-

१२.१ बड़े शहरों में बस रैपिड ट्रॉजिट सिस्टम यथासम्भव लागू किये जायेंगे।

१२.२ महानगरों में प्रदूषण कम करने के लिये सभी संभव उपाय किये जायेंगे। सी.एन.जी. एवं आटो एल.पी.जी. आधारित परिवहन व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जायेगा। इन वाहनों पर चलित सार्वजनिक/ व्यावसायिक वाहनों को 'तुरन्त रजिस्ट्रेशन तुरन्त परमिट' दी जावेगी।

१२.३ शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को प्रदाय करने के सार्वजनिक परिवहन वाहनों के साथ-साथ परमिट देने की व्यवस्था की जावेगी।

१२.४ महानगरों में प्रति पांच वर्ष ट्रैफिक सर्वेक्षण कराये जावेंगे, जिससे - नगरीय परिवहन नीतियों का निर्धारण एवं यातायात प्रबन्धन में सुविधा होगी।

१२.५ नये नगरीय मार्गों पर नये परमिट दिये जावेगें। नगरीय मार्गों पर चलने वाले यात्री वाहनों पर भाड़ा मीटर लगाया जाना अनिवार्य होगा।

सुरक्षितता

१३. प्रदेश में वर्ष २००७ में ४१,९८१ सड़क दुर्घटनायें हुई हैं जिसमें ६६७१ लोगों की मृत्यु हुई है। सड़कों पर बहुमूल्य जीवन नष्ट होने के साथ-साथ मालयानों को भी भारी नुकसान होता है। अनावश्यक जानमाल की हानि रोकने के लिये सड़क सुरक्षितता को पूर्व से कहीं अधिक प्राथमिकता देने के लिये शासन संकल्पित है। यह अत्यंत आवश्यक है कि सुगम यातायात के साथ-साथ यातायात को सुरक्षित भी किया जाये। इसके लिये आवश्यक है कि इस हेतु दुर्घटनाओं को नियंत्रित किया जाये एवम् दुर्घटनाओं के बाद राहत का कार्य त्वरित गति से किया जाये।

१४. शासन इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठायेगा :-

१४.१ मध्यप्रदेश में ८५: सड़क दुर्घटनाएँ चालक त्रुटि से होती हैं। दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिये प्रशिक्षित एवं सक्षम व्यक्तियों को ही चालक लाईसेंस प्राप्त होना आवश्यक है। चालक लाईसेंस प्रदाय

करने की व्यवस्था कड़ी की जावेगी, तथा लाईसेंस बोर्ड समाप्त किये जावेंगे। यह सुनिश्चित किया जावेगा कि निर्धारित परीक्षा उपरान्त लाईसेंस प्राप्त हो।

१४.२ चालकों के प्रशिक्षण के लिये राज्य शासन सतत् कार्य करेगा। विशेष रूप से सार्वजनिक परिवहन वाहनों के चालकों का सघन प्रशिक्षण कराने की व्यवस्था की जायेगी। राज्य शासन सभी मुख्य नगरों में चालक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना करेगा। प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार शासन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तथा जन-निधि भागीदारी द्वारा किया जावेगा।

१४.३ वाहनों की तकनीकी खराबी के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिये वाहनों की फिटनेस चैकिंग की प्रभावी व्यवस्था की जायेगी। वाहन की फिटनेस चैकिंग हेतु आधुनिक उपकरणों से वाहनों की फिटनेस चैक कराने हेतु नियमानुसार जन-निधि भागीदारी (पी.पी.पी.) व्यवस्था की जावेगी।

१४.४ राजमार्गों पर ट्रामा सेण्टर स्थापित किये जायेंगे। इस कार्य के लिये स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग एवम् पुलिस विभाग समन्वित रूप से कार्यवाही करेंगे। दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को ट्रामा सेंटर

पहुंचाने के लिये एम्बूलेंस नेटवर्क १०८ से समन्वय कर सेवाएँ उपलब्ध करायी जायेगी।

१४.५ ट्रक दुर्घटनाओं पर रोकथाम के साथ-साथ सड़कों की टूट-फूट को भी नियंत्रित करने हेतु आंतरिक मार्गों में खनिज साधन विभाग के सहयोग से ट्रकों की ओवर लोडिंग पर सख्ती से नियंत्रण किया जायेगा।

१४.६ यातायात के नियमों का पालन करने के लिये शासकीय एवम् अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से जनता के सभी वर्गों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

परिवहन विभाग की अधोसंरचना

१५. गत २५ वर्षों में परिवहन विभाग का ढांचा अपरिवर्तित है, जबकि ३४ नये जिले कार्यालय खोले गये हैं, पंजीकृत वाहनों की संख्या में १५ गुना वृद्धि हुई है, और राजस्व प्राप्ति १६ गुना बढ़ी है। फलतः राज्य शासन यह अनुभव करता है कि प्रदेश में परिवहन नीति लागू करने के लिये परिवहन विभाग की अधोसंरचना एवम् ढांचा पूर्णतः अपर्याप्त है और इसे तदनुसार सुदृढ़ किया जावेगा।

१६. राज्य शासन इसके लिये निम्न उपाय करेगा :-

१६.१ वर्तमान में क्षेत्रीय/अतिरिक्त क्षेत्रीय/जिला परिवहन कार्यालय अधिकांश निजी भवनों में स्थित अत्यंत दयनीय स्थिति में हैं। जन सुविधा की दृष्टि से इन कार्यालयों

में आवेदकों तथा उनके वाहनों के लिये पर्याप्त स्थान होना तथा उनका आधुनिकीकरण आवश्यक है। राज्य शासन इनके सुधार के लिये चरणबद्ध तरीके से आधुनिक कार्यालय भवन निर्मित करेगा ।

१६.२ अन्य प्रदेशों की तुलना में प्रदेश में परिवहन विभाग का अमला बहुत कम है। राज्य शासन परिवहन विभाग में नया सैटअप तैयार करेगा जिसमें प्रबंधन सुदृढ़ होगा, और

मैदानी अमले में वृद्धि की जावेगी। विभाग में राजस्व संग्रहण हेतु आवश्यक संसाधन जैसे वाहन आदि उपलब्ध करवाये जायेंगे।

१६.३ राज्य परिवहन प्राधिकार को राज्य स्तरीय परिवहन नियामक प्राधिकार में उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण किया जावेगा, जिससे निजी यात्री बस प्रणाली तथा अन्य परिवहन विकास संबंधित विषयों पर समन्वयक एवं दिशा निर्देशक का कार्य करें ।

राजस्व संग्रहण एवं कर प्रणाली

१७. राज्य के विकास कार्यक्रमों के लिये राजस्व संग्रहण परिवहन विभाग का एक प्रमुख उद्देश्य है। इस संबंध में :-

१७.१ राजस्व संग्रहण प्रणाली में करदाताओं को अधिक-से-अधिक सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ कर बकायादारों एवं कर अपवंचन करने वालों से सूचना प्रोद्योगिकी एवं मैदानी प्रवर्तन के माध्यम से सख्ती से वसूली करने एवं दण्डित करने की नीति होगी।

१७.२ प्रदेश में वाहनों के नवीन रजिस्ट्रीकरणों को प्रोत्साहित करने तथा तदनुसार राजस्व वृद्धि लाने के लिये कर प्रणाली में युक्तियुक्तकरण किया जावेगा, जिसमें पड़ोसी राज्यो में प्रचलित कर प्रणाली पर भी ध्यान दिया जावेगा।

१७.३ बसों पर टैक्स के लिये वर्तमान जटिल कर व्यवस्था के स्थान पर सरल कराधान की व्यवस्था की जायेगी। इससे राजस्व संकलन के साथ-साथ बस ऑपरेटरों को कर भुगतान में सुविधा रहेगी।

आधुनिक तकनीकी का समावेश

१८. परिवहन कार्यालयों में अभी तक हुए व्यापक कम्प्यूटरीकरण जनता के लिये सुविधाजनक पायी गयी है, और राजस्व संग्रहण प्रक्रिया भी सरल हो गयी है। राज्य शासन आधुनिक तकनीकी को परिवहन में विकसित करने के लिये कटिबद्ध है।

१८.१ इन्टेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से आधुनिक तकनीक का प्रयोग यातायात नियंत्रण के लिये किया जायेगा। आधुनिक संचार व्यवस्था तथा सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी परिवहन के विभिन्न क्षेत्रों में किया जायेगा।

१८.२ लाईसेंस/रजिस्ट्रीकरण/परमिट के सभी अभिलेखों का डिजिटाईजेशन किया जावेगा, और भविष्य में ई-रिकार्ड संधारित करने की प्रणाली लागू की जावेगी।

वैकल्पिक आवागमन साधन

१९. मध्यप्रदेश में रेल यातायात के अतिरिक्त निम्न परिवहन व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जायेगा :-

१९.१जल मार्ग से परिवहन किये जाने के लिये राज्य शासन अध्ययन करवायेगा। विशेष रूप से नर्मदा

घाटी में इसकी सम्भावनाओं का पता लगाकर उचित कार्यवाही की जायेगी।

१९.२ प्रदेश में वायुयान आधारित परिवहन अत्यंत सीमित है। इसे विस्तारित करने के लिये राज्य शासन उचित कदम उठायेगा। उपयुक्त स्थल पर कार्गो हब बनाने की कार्यवाही की जावेगी।